संख्या-4/2018/274/तीन-18-05(1)/2004 टी0सी-3

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज/बहराईच/अलीगढ़।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 12 मार्च, 2018

विषय:- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त/वार्षिक की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85 सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई,1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5 (14)/97 सा0प्र0अनु0 दिनांक 06 मई, 1999 तथा शासनादेश संख्या-2028 (1)/तीन-2008 -5(1)/2004 दिनांक 21 सितम्बर,2008 के अनुसार श्री राज्यपाल अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत अलंकृत उत्तर प्रदेश के नागरिकों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु 05 नागरिकों को कुल धनराशि 3,70,000 /-(रू0 तीन लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	**अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम**	**अलंकरण/ पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि**	**अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता**	**राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/ एकमुश्त/ वार्षिकी एवं संगत वित्तीय वर्ष**	**धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
01	स्व0 कमलेश कुमारी	अशोक चक्र	ग्राम व पोस्ट सिकन्दर पुर जी0टी रोड़ कन्नौज।	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 1,20,000/-	श्री अवधेश सिंह पति स्व0 कमलेश कुमारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

02	मेजर रत्नेश कुमार सिंह	शौर्य चक्र 15-08-2009	म0नं0-09/6(4)सूफीपुरा सिविल लाइन्स देहात कोतवाली बहराईच	वित्तीय वर्ष-2016-17 एवं 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/- प्रतिपर्ष की दर से रू0 1,00,000/-	मेजर ए0के0 सिंह मेजर रत्नेश कुमार सिंह
03	स्व0 नवल कान्त	शौर्य चक्र	एच0आई0जी0 36 अवन्तिका कालोनी रामघाट रोड़ अलीगढ़। वर्तमान पता-168 जी0-टाईप एडमिनिस्ट्रेशन, नई नीमरी कालोनी अशोक विभाग फेस-4 नई दिल्ली।	वित्तीय वर्ष-2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्रीमती शशि गुप्ता पत्नी स्व0 नवल कान्त
04	श्री राजीव भारद्वाज	शौर्य चक्र	19/29 ए, बावू नगर, भारतीय स्टेट बैक कालोनी के पास अलीगढ़।	वित्तीय वर्ष-2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्री राजीव भारद्वाज
05	शहीद आरएफएन लक्ष्मण सिंह	शौर्य चक्र 15-08-2004	ग्राम नगौला, पोस्ट कसीसों तहसील खैर अलीगढ़।	वित्तीय वर्ष-2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्रीमती विमलेश देवी पत्नी शहीद लक्ष्मण सिंह
				कुल धनराशि रू0 3,70,000/- (रू0 तीन लाख सत्तर हजार मात्र)	

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक ''2075-विविध सामान्य सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय '' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगे की उपर्युक्त समस्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है।

4- जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त म्समबजतवदपब निदक ज्तंदेमित से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाए कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवत हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाए तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए। सम्बंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का ''जीवित प्रमाण-पत्र'' प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे। यह शासनादेश एवं ग्रिड रिपोर्ट www.shasanadesh.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2018/274(1)/तीन-18-05(1)/2004 टी0सी-3 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, कन्नौज/बहराईच/अलीगढ़।
3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता।
4- रक्षा सचिव,रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उ0 प्र0,कैसरबाग लखनऊ,उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हरीराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष :-2017-2018
आवंटन दिनांक-13/03/2018

प्रेषण संख्या :- 274
आवंटन आदेश संख्या :- 001-274
अनुदान संख्या :- 84 सामान्य प्रशासन विभाग (वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक :- 2075-विविध सामान्य सेवायें (आयोजनेत्तर-मतदेय)

800-अन्य व्यय
03- अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0प्र0 के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि

(धनराशि रू. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अलीगढ-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
2	बहराइच-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 100000	100000 100000
3	कन्नौज-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 120000	120000 120000
	योग	वर्तमान प्रगामी	370000 370000	370000 370000

महायोग- (वर्तमान आवंटन) :- रूपया तीन लाख सत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन) :- रूपया तीन लाख सत्तर हजार

(हरीराम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।